न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :— 54/2020

उनवान

पंकज कुमार सिंघल पुत्र बोदूराम सिंघल हाल निवासी बिदारा तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1. दयालराम
2. प्रभूदयाल
3. पांचू पि0 नाथू जाति अहीर निवासी ढाणी अमरावाली बिदारा
4. भगवानसहाय
5. परसराम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादी/अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 985 रकबा 0.02 है0, व ख0नं0 986 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका दिनांक 13.10.2020 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त प्रार्थी की भूमि के पास ख0नं0 1003/1, 1004/1, 1005, 1006, 1007/1 अप्राथीगण की खातेदारी भूमि स्थित है । प्रार्थी की भूमि को अप्रार्थीगण सीमा के साथ छेडछाड की जाकर आये दिन परेशान करते है तथा प्रार्थी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर निर्माण करवाना चाहते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि पटवारी हल्का बिदारा व अन्य पटवारियो की उपस्थिति में सीमाज्ञान तय नहीं हो सका था फर्द मौका रिपोर्ट के निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि उस दिन पटवारी हल्के की रिपोर्ट मुताबिक खसरा नम्बरान का नक्शा मौका मिलान नहीं हुआ इसलिए सीमाज्ञान हेतु भू प्रबन्ध विभाग से ईडीएस मशीन द्वारा सीमाज्ञान किया जावे इस प्रकार सीमाज्ञान नहीं होने से पत्थरगढ़ी के आदेश नहीं हो सकते । अप्रार्थी ने विशेष कथन जाहिर किया कि किसी खसरा नम्बर का सीमाज्ञान होने के उपरान्त ही पत्थरगढ़ी की जा सकती है प्रश्नागत प्रकरण में सीमा का निर्धारण नहीं हुआ तो पत्थरगढी का आदेश दिया जाना सम्भवन नही है। तथा भूमि आवासीय है जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होना जाहिर किया ।

वकील अभय पक्ष की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा पत्थगढी के अभाव में निर्माण कार्य में अडचन पैदा करते है साथ ही यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थीगण की ओर से भी सीमाज्ञान/पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र मुख्य सचिव महोदय जयपुर राजस्थान को पेश किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे ।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी का सीमाज्ञान नहीं हुआ है इसलिए पत्थरगढी के आदेश नहीं दिये जा सकते तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जाहिर किया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बरान का नक्शा मौका मिलान नहीं हुआ इसलिए सीमाज्ञान हेतु भू प्रबन्ध विभाग से ईडीएस मशीन द्वारा सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी हल्का ने भी निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का खारिज फरमाया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 13.10.2020को तहसील शाहपुरा द्वारा गठित हल्का पटवारियों की टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया गया तथा नक्शा मौका मिलान नहीं होने से भू प्रबन्ध विभाग से ईडीएस मशीन द्वारा सीमाज्ञान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है तथा अप्रार्थीगण की ओर से राजकुमार यादव द्वारा भी श्रीमान मुख्य सचिव महोदय जयपुर राजस्थान को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि जिसमे उक्त आराजी का सीमाज्ञान तथा सीमाअंकन करवाने हेतु निवेदन किया गया है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है तथा प्रश्नागत प्रकरण में दोनो पक्ष सीमांकन चाहते है, लेकिन मात्र विवाद है कि नक्शा मौका मिलान नहीं होने से दोनो पक्षो में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ने की सम्भावना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्राथी अपनी प्रश्नागत आराजी खसरा 985 रकबा 0.02 है0, व ख0नं0 986 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा का भू प्रबन्ध विभाग में नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर ईडीएस मशीन से सीमाज्ञान करवाने के आदेश दिये जाते है, ईडीएस मशीन से सीमाज्ञान हेतु भू प्रबन्ध विभाग को लिखा जावे तथा तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि इडीएस मशीन से सीमाज्ञान होने पर नियमानुसार पत्थरगढी करवावें । अप्रार्थीगण भी यदि अपनी भूमि ख0नं0 1003/1, 1004/1, 1005, 1006, 1007/1 कुल किता 5 रकबा 1.1488है0 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा का ईडीएस मशीन से सीमाज्ञान करवाना चाहे तो भू प्रबन्ध विभाग अप्रार्थीगण से भी नियमानुसार ईडीएस मशीन का शुल्क जमा करवाकर ईडीएस मशीन से सीमाज्ञान करवाने के आदेश दिये जाते है । तदानुसार आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2021 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

27/1/21

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर